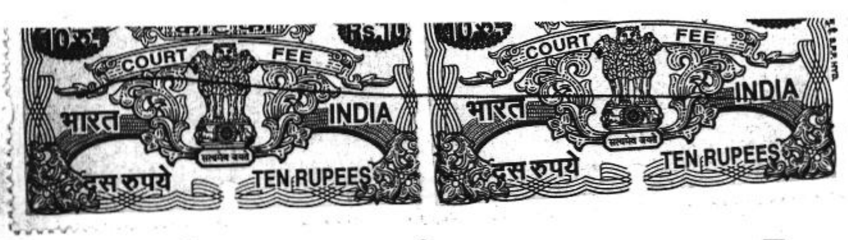

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र : निगरानी 135-PBR/15

सैय्यद मोहम्मद नूर आयु वयस्क
आत्मज सैय्यद मोहम्मद ग़फ़ूर, निवासी वार्ड नं. 17,
रेलवे स्टेशन मस्जिद के सामने, मण्डीदीप, ज़िला रायसेन
कृषक ग्राम खाण्डावड़, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

जगन्नाथ लोवंशी आयु वयस्क
आत्मज श्री हजारीलाल लोधी
कृषक व निवासी ग्राम खाण्डावड़,
तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल .... **प्रति प्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू.राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.06.2014, जो प्रकरण क्र. 144/अ–12/2013–14 में श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय मण्डल 03, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया ।

श्री नीरज श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 16-1-15 को कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत। 16-1-15

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खाण्डाबड़, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल में अपीलार्थी का विगत कई वर्षों से शांतिपूर्ण ढंग से अपने स्वत्व, स्वामित्व की भूमि पर आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी को उसकी भूमि पर से कभी बेदख़ल नहीं किया है।

02. यह कि, प्रतिप्रार्थी ने एक आवेदन मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 12.06.2014 को प्रेषित किया और उक्त आवेदन में यह विषय लिया गया कि "किसान का सीमांकन करवाने हेतु आवेदन"। उक्त आवेदन दिनांक 12.06.2014 को ही तहसीलदार तहसील हुजूर द्वारा श्री धर्मेन्द्र को प्रेषित कर सीमांकन किये जाने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश के परिपालन में दिनांक 13.06.2014 को आदेश पत्रिका लिखी गई। उक्त मुख्यमंत्री को प्रेषित आवेदन के आधार पर ही प्रकरण दर्ज़ किया गया। प्रकरण में सीमांकन के लिये तारीख पेशी दिनांक 17.06.2014 का सूचना–पत्र जारी किया गया, जिसकी तामील प्रार्थी पर विधिवत् नहीं कराई गई है। दिनांक 17.06.2014 को सीमांकन नहीं होने के कारण आगामी दिनांक 24.06.2014 नियत की गई। उक्त दिनांक 24.06.2014 की भी कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई। प्रकरण में उपलब्ध पंचनामे में यह उल्लेख किया गया है कि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-135-PBR/15 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 **की उपधारा 1 के अधीन उन्हें** सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने **के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी** द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित **की जायेगी और यदि इस प्रयोजन** के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी **को अंतरित की जायेगी।"** चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 21-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	